



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2012/ज्येष्ठ 25, 1934

No. 280]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2012/JYAISTHA 25, 1934

गृह मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

सा.का.नि. 455(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा सुरक्षा बल, योधक पैराचिकित्सक समूह 'ग' भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, योधक पैराचिकित्सक समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल योधक पैराचिकित्सक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में हैड कांस्टेबल (नर्स/सहायक नर्सिंग और सेविका) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने :—

स्तम्भ 8 में, शीर्षक 3 के अधीन शारीरिक मानक "सीना-सुविकसित होना चाहिए" शब्दों के स्थान पर, "सीना-लागू नहीं होता" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 17/5/2006-कार्मिक/सी.सु.बल]

नीरज कंसल, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में सा.का.नि. 123, तारीख 27 अगस्त, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2012

G.S.R. 455(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force, Combatised Paramedics Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2009, namely :—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, Combatised Paramedics Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force, Combatised Paramedics Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2009, in the Schedule, against serial number 1 relating to the post of Head Constable (Nurse/Assistant Nursing and Midwifery).—

In column 8, under the heading 3, Physical Standards, for the words "Chest-should be well developed", the words "Chest-Not applicable" shall be substituted.

[F. No. 17/5/2006-Pers/BSF]

NEERAJ KANSAL, Director (Personnel)

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India Part II Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 123, dated 27-8-2009.